

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

कमांक / राजस्व / 2023 / 96

दिनांक / / 2023

—: रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश —:

राजस्व (युप-6) विभाग के परिपत्र कमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पार्ट
जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66
एवं 86 के अन्तर्गत ग्राम—नालोर— पटवार मण्डल—जोरावर नगर—
भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त—जोरावर नगर— तहसील—श्रीमाधोपुर— की भूमि खसरा
नम्बर—233— में स्थित रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा
सलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान
की जाती है।

शिविर प्रशासनिक अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गांव के रास्ते अधिनियम-2023
उपखण्ड श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर
दिनांक: / / 2023

कमांक / सम /

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त—जोरावर नगर—।
3. पटवारी हल्का—जोरावर नगर—।

शिविर प्रशासनिक अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन गांव के रास्ते अधिनियम-2023
उपखण्ड श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर